रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14052025-263083
CG-DL-E-14052025-263083

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2080] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 13, 2025/वैशाख 23, 1947
No. 2080] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 13, 2025/VAISAKHA 23, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2025

का.आ. 2125 (अ).— प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्यांक का.आ. 5409(अ), तारीख 21 दिसंबर, 2023, द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्ररूप अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 21 दिसंबर, 2023 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना की बाबत व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया था;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इस अधिसूचना में इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 102 (अ), तारीख 1 फरवरी, 1989 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, -

(क) पैरा (iii), (iv) और (v) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात्: -

(iii) पर्यटन योजना, चरागाह योजना, विकास का आंचलिक महायोजना और भूमि उपयोग योजना, तथा क्षेत्रीय महा योजना, एकीकृत महायोजना सहित कोई अन्य ऐसी योजना राज्य सरकार द्वारा सभी संबंधित राज्य विभागों जैसे पर्यावरण, वन, शहरी विकास, पर्यटन, नगर पालिका, राजस्व, लोक निर्माण, जल संसाधन, बागवानी, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि की सम्यक भागीदारी के साथ पर्यावरणीय चिंताओं को इसमें एकीकृत करने के लिए तैयार की जाएगी और उत्तराखंड राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाएगी।"

(IV) जो परियोजनाएं पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 के आधीन सम्मिलित नहीं हैं, तथापि, जो उद्योगों की नारंगी श्रेणी में आती हैं, उन पर उत्तराखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उचित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए विचार किया जाएगा।

(V) पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, जो संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 द्वारा जारी की गई थी, के अधीन अनुसूची में सम्मिलित परियोजनाओं को उक्त अधिसूचना में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा।

(ख) टिप्पण में, खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएगे, अर्थात्:-

"(घ) नारंगी श्रेणी के उद्योग, जो अब उद्योगों की लाल श्रेणी में हैं, जारी रहेंगे और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 (जिसे इसमे इसके पश्चात् ईआईए अधिसूचना कहा गया है) की अनुसूची में आने वाले ऐसे नारंगी श्रेणी के उद्योगों का विस्तार केवल उक्त अधिसूचना के पैरा 7 के उप-पैरा (ii) में दिए गए ऐसे विस्तार से संबंधित विद्यमान उपाबंध के अधीन ही अनुमति दी जाएगी, जिसे समय-समय पर संशोधित मार्गदर्शक सिद्धांत तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में संबंधित विद्यमान निर्देश समय-समय पर जारी किया गया।

(ड.) उत्तराखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड खंड (घ) में विनिर्दिष्ट उन उद्योगों के विस्तार के लिए तंत्र अधिकथित करेगा जो उक्त अधिसूचना की अनुसूची में नहीं आते हैं।"

[फ.सं. 25/6/2012--ईएसजेड-आरई]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक ''जी''

टिप्पण.- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड-3, उपखंड (ii) में का.आ. 102(अ), तारीख 1 फरवरी, 1989 द्वारा प्रकाशित की गई और का.आ. 94(अ), तारीख 6 जनवरी, 2020 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May,2025

S.O. 2125(E).— WHEREAS a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 5409(E), dated the 21st, December 2023, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 21st December, 2023;

AND WHEREAS objections and suggestions received from persons in response to the said draft notification have been considered by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 102 (E), dated the 1st February, 1989, namely:-

In the said notification, -

(a) for paragraphs (iii), (iv) and (v) the following paragraphs shall be substituted, namely: –

"(iii) Tourism Plan, Grazing Plan, Master Plan of Development and Land Use Plan, and any other such Plan including Zonal Master Plan, Integrated Master Plan shall be prepared by the State Government with due involvement of all concerned State Departments such as Environment, Forest, Urban Development, Tourism, Municipality, Revenue, Public Works, Water Resources, Horticulture, Panchayati Raj, Rural Development, Pollution Control Board, etc., for integrating environmental concern into it and shall be approved by the competent authority in the State Government of Uttarakhand.";

(iv) The projects which are not covered under the Environment Impact Assessment Notification issued vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, however, falls under the orange category of industries shall be considered by the Uttarakhand State Pollution Control Board following the due process.

(v) The projects which are covered in the Schedule under the Environment Impact Assessment Notification, issued vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, shall follow the procedure laid down in that notification".

(b) in the note, for clause (d), the following clauses shall be substituted, namely:-

"(d) the orange categories industries, which are now in the red categories of industries shall be continued and expansion of such orange category industries falling in the Schedule of the

notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the EIA notification) to be allowed only subject to the extant provision pertaining to such expansion as laid down in sub-para (ii) of para 7 of said notification, as amended from time to time, and related extant directions issued in this regard by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, from time to time.

(e) The Uttarakhand State Pollution Control Board shall lay down a mechanism for expansion of the industries referred to in clause (d) which are not falling in the Schedule of the said notification.".

[F. No. 25/6/2012-ESZ-RE]

DR. S. KERKETTA, Scientist 'G'

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, Sub-section (ii) vide S.O. 102(E), dated the 1st February, 1989 and amended S.O. 94(E), dated the 6th January, 2020.

अधिसूचना
नई दिल्ली, 13 मई, 2025

का.आ. 2126 (अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और धारा 5 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, अतः वह भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के उस आदेश को जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 2125 (अ) तारीख 13 दिसम्बर, 2007 के अधीन प्रकाशित हुआ था, उन बातों के सिवाय, जो ऐसे विखण्डन से पूर्व की गई हैं या करने का लोप किया गया है, विखंडित करती है।

[फ.सं. 25/6/2012-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक ''जी''

टिप्पण.- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड-3, उपखंड (ii) में का.आ. 2125(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May,2025

S.O. 2126 (E) .— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 and section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2125 (E), dated the 13th December, 2007, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. 25/6/2012-ESZ-RE]

DR. S. KERKETTA, Scientist 'G'

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, Sub-section (ii) vide number S.O. 2125(E), dated the 13th December, 2007.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.05.14 15:55:24 +05'30'